

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, 1-विराज खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ।

पत्रांक: एन0एच0एम0सी0/ए-2/2019-20/3885 -

दिनांक- 03.12.2019


आवेदन हेतु शैक्षिक योग्यता/अर्हता

उत्तर प्रदेश शासन आयुष अनुभाग-2 लखनऊ के शासनादेश सं0-573/71-आयुष-2-2015-10/2015 दिनांक-28.05.2015, शासनादेश सं0-3103/96-आयुष-2-2017-10/2015 दिनांक-27.10.2017 एवं केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद के आदेश सं0-14-14/2014-सी0सी0एच0 26072-26267 दिनांक-21.12.2016 के अनुपालन में इस चिकित्सा महाविद्यालय हेतु निम्नलिखित विषयों के लिए अतिथि प्रवक्ताओं को चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर शैक्षिक/व्यवसायिक तथा आयु संबंधी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियों सहित दिनांक-24.12.2019 तक सांय 5:00 बजे तक रजिस्ट्रर्ड डाक से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

| क0सं0 | विषय | पद सं0 |
|-------|-----------------|--------|
| 1 | रिपोर्टरी | 02 |
| 2 | फार्मैसी | 01 |
| 3 | आर्गनान मेडिसिन | 02 |
| | | 05 |

(क) वांछित अर्हता/अनुभव:-

1. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/परिषद से संबंधित क्षेत्र में स्नातक/परास्नातक उपाधि (एम0डी0) धारक हो।
2. ऐसे ख्याति प्राप्त चिकित्सक जिनका न्यूनतम व्यवसायिक अनुभव कम से कम 3 वर्ष एवं संबंधित विषय में विशेष ज्ञान रखते हों।
3. आयु सीमा-65 वर्ष से अधिक न हो एवं पूर्ण स्वस्थ हों।
4. मानदेय-मानदेय रू0 1500/-प्रति व्याख्यान अधिकतम (20 व्याख्यान) रू0 30,000/-प्रतिमाह अथवा शासन द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित।
5. रिक्त पद-01 पद सामान्य श्रेणी, 02 पद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 02 पद अनुसूचित जाति के लिये।
6. आवेदन शुल्क-अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी रू0 500/-व अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 250/-का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल कारपोरेशन बैंक गोमती नगर लखनऊ के नाम डाला जायेगा। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
7. (I) अतिथि प्रवक्ता हेतु करार निष्पादन चयनित अभ्यर्थी के साथ किया जायेगा। उक्त करार का कार्यकाल 06 माह का होगा। इस प्रकार से निष्पादित करार किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना अथवा 01 माह का मानदेय भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
(II) अतिथि प्रवक्ता हेतु उक्त आमंत्रण शैक्षिक कार्यों हेतु मात्र वैकल्पिक व्यवस्था है तथा इस प्रकार के आमंत्रण से उन्हें रोजगार के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।
(III) इस प्रकार के अतिथि प्रवक्ता किसी भी प्रकार के शासकीय सेवाओं में विनियमितीकरण अथवा पेंशन संबंधी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे।
(IV) चयन में आये हुये अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।
8. आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र एवं शैक्षिक अर्हता हमारी वेबसाइट nhmclucknow.com पर उपलब्ध है।


(प्रो0 अरविन्द कुमार वर्मा)
अध्यक्ष चयन समिति/प्राचार्य